



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218725
CG-DL-E-17032020-218725

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941

No. 67]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2020

(i) 6.13 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (ii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iv) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (v) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; तथा (vi) 6.28 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035 को जारी करना।

फा. सं. 4(16)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019.—भारत सरकार एतद्वारा दिनांक 20 मार्च, 2020, को (i) 6.13 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (ii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iv) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (v) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; तथा (vi) 6.28 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035 (इसके पश्चात् संक्षिप्त रूप से 'विशेष प्रतिभूति' के रूप में उल्लिखित है) के निर्गम को अधिसूचित करती है।

1. अभिदान के लिए पात्रता और अभिदान की सीमा :-

- (i) इसके अनुबंध में केवल बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सरकारी क्षेत्र का बैंक) इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र होगा तथा प्रतिभूतियों में अभिदान अनुबंध में दर्शाई गई राशि तक सीमित रहेगा।
- (ii) उपर्युक्त अनुबंध में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा, किसी अन्य बैंक, कंपनी, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति इन विशेष प्रतिभूतियों में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

2. निर्गम मूल्य एवं तारीख:-

- (i) विशेष प्रतिभूतियां पात्र बैंक अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार, सममूल्य राशि पर जारी की जाएंगी।
- (ii) विशेष प्रतिभूतियों को जारी करने की तारीख पात्र बैंक अर्थात बैंक ऑफ महाराष्ट्र से अभिदान राशि की प्राप्ति की तारीख होगी।

3. प्रतिभूति का स्वरूप :-

इन विशेष प्रतिभूतियों को लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में अनुरक्षित निवेशकर्ता बैंक के अनुषंगी सामान्य बही खाता में क्रेडिट करके "स्टॉक" के रूप में जारी किया जाएगा।

4. ब्याज एवं वापसी :-

विशेष प्रतिभूतियों की वापसी अदायगी प्रत्येक प्रतिभूति के संबंध में इंगित की गई परिपक्वता की तारीख को सममूल्य पर होगी। विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर देय होगा, जो प्रतिभूति जारी करने की तारीख से परिकलित होगा। प्रतिभूति पर ब्याज मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के लोक ऋण कार्यालय में देय होगा।

इन विशेष प्रतिभूतियों पर निम्नलिखित दर से ब्याज देय होगा :

क्र.सं.	प्रतिभूति का नाम	ब्याज दर	परिपक्वता की तारीख
1	6.13 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2030	6.13 प्रतिशत	20 मार्च, 2030
2	6.18 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2031	6.18 प्रतिशत	20 मार्च, 2031
3	6.18 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2032	6.18 प्रतिशत	20 मार्च, 2032
4	6.23 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2033	6.23 प्रतिशत	20 मार्च, 2033
5	6.23 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2034	6.23 प्रतिशत	20 मार्च, 2034
6	6.28 (अहस्तांतरणीय) भारत सरकार की विशेष प्रतिभूति, 2035	6.28 प्रतिशत	20 मार्च, 2035

ब्याज का भुगतान निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्णांकित करके किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, पचास पैसे से कम राशि को नजरअंदाज किया जाएगा और पचास और उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।

5. हस्तांतरणीयता एवं परिवर्तन:-

विशेष प्रतिभूति हस्तांतरणीय नहीं होगी तथा इन प्रतिभूतियों को किसी भी अन्य स्वरूप में परिवर्तित करने की अनुमति भी नहीं होगी।

6. सांविधिक प्रावधान:-

जहां तक किसी ऐसे विषय का संबंध है, जिसका इस अधिसूचना के तहत प्रावधान नहीं किया गया है, विशेष प्रतिभूतियां सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके तहत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति नियम, 2007 द्वारा अभिशासित की जाएंगी।

7. कर कानूनों की प्रयोज्यता:-

विशेष प्रतिभूति में निवेशित राशि तथा उस पर देय ब्याज को समय-समय पर यथा प्रयोज्यकर कानूनों के उपबंधों द्वारा अभिशासित होगी।

8. विशेष प्रतिभूति में निवेश की पात्रता :-

बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में निवेश एक योग्य निवेश नहीं माना जाएगा जिसका निवेश बैंक ऑफ महाराष्ट्र को निवेश करने वाले बैंक अर्थात् बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लागू किसी सांविधिक उपबंधों अथवा निदेशों के अनुसरण में सरकारी प्रतिभूतियों में करना आवश्यक है।

9. एचटीएम प्रस्थिति :-

बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यन तथा प्रचालन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 01 जुलाई, 2015 के परिपत्र डीबीआर संख्या बीपी. बीसी. 6/21.04.141/2015-16 के अनुसार, विशेष प्रतिभूतियां बिना किसी सीमा के एचटीएम पोर्टफोलियो के तहत धारित की जा सकती हैं।

अनुबंध

(संदर्भ फा. सं. 4(16)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2019 दिनांक 17 मार्च, 2020)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम और प्रतिभूतियों का आबंटन (i) 6.13 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2030; (ii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2031; (iii) 6.18 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2032; (iv) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2033; (v) 6.23 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2034; तथा (vi) 6.28 प्रतिशत (अहस्तांतरणीय) विशेष भारत सरकार प्रतिभूति, 2035।

क्रम संख्या	बैंक का नाम	परिपक्वता वर्ष						(₹ करोड़)
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	आबंटित राशि
1.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	141	138	138	138	138	138	831
	कुल	141	138	138	138	138	138	831

भारत के राष्ट्रपति के आदेशानुसार,

रजत कुमार मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2020

Issue of (i) 6.13 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iv) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.28 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2035.

F. No. 4(16)-B(W&M)/2019.—Government of India hereby notifies the issue of (i) 6.13 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iv) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.28 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2035, (hereinafter briefly described as the "Special securities") on March 20, 2020.

1. Eligibility for Subscription and Limit of Subscription:

(i) The Bank of Maharashtra as referred to in the **Annexure** hereto shall only be eligible to subscribe to the special securities and the subscription to the securities shall be limited to the extent of the amount, as shown against Bank of Maharashtra in the Annexure.

(ii) No other person, including any bank, company, corporation or any other body except the Bank of Maharashtra as referred to in aforesaid Annexure shall be eligible to subscribe to the special securities.

2. Price and Date of Issue:

(i) The special securities will be issued at par for the amount as per the application made by the eligible bank i.e. Bank of Maharashtra.

(ii) The date of issue of the special securities will be the date of receipt of subscription amount from the eligible bank i. e. Bank of Maharashtra.

3. Form of Security:

The special securities will be issued in the form of "Stock" to be held at credit of the investing bank's Subsidiary General Ledger Account maintained with Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

4. Interest and Repayment:

The special securities shall be repayable at par on the date of maturity as indicated against each security. Interest on the special securities will be payable at half yearly intervals, reckoned from the date of issue of the securities. Interest on the securities will be payable at Public Debt Office of Reserve Bank of India at Mumbai.

The following rate of interest will be payable on these securities:

S. No.	Nomenclature of the Securities	Rate of Interest	Date of maturity
1.	6.13 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2030	6.13 per cent	March 20, 2030
2.	6.18 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2031	6.18 per cent	March 20, 2031
3.	6.18 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2032	6.18 per cent	March 20, 2032
4.	6.23 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2033	6.23 per cent	March 20, 2033
5.	6.23 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2034	6.23 per cent	March 20, 2034
6.	6.28 (Non-Transferrable) Special Gol Security 2035	6.28 per cent	March 20, 2035

Interest will be paid after rounding off to the nearest whole rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise and more will be rounded off to the next rupee.

5. Transferability and Conversion:

The special securities shall not be transferable and conversion in any other form of security shall not be permitted.

6. Statutory Provisions:

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the special securities shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and the Government Securities Rules, 2007 framed there under.

7. Applicability of Tax Laws:

The value of the investment in the special security and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

8. Eligibility of Investment in Special Securities:

The investment in the special securities by the Bank of Maharashtra would not be considered as an eligible investment which Bank of Maharashtra is required to make in Government securities in pursuance of any statutory provisions or directions applicable to the investing bank i.e. Bank of Maharashtra.

9. HTM Status:

As per RBI Circular DBR No BP.BC.6/21.04.141/2015-16 July 1, 2015 on Prudential Norms for Classification, Valuation and Operation of Investment Portfolio by Banks, the special securities can be held under HTM portfolio without any limit.

Annexure

(Ref. F. No. 4(16)-B(W&M)/2019 dated March 17, 2020)

Name of Public Sector Bank and Allocation of Securities (i) 6.13 per cent (Non-transferable) Special Gol Security, 2030; (ii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2031; (iii) 6.18 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2032; (iv) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2033; (v) 6.23 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2034; and (vi) 6.28 per cent (Non-transferable) Special Gol Security 2035.

S. No.	Name of the Bank	Maturing in Year						(₹ crore)
		2030	2031	2032	2033	2034	2035	Amount Allocated
1	Bank of Maharashtra	141	138	138	138	138	138	831
	Total	141	138	138	138	138	138	831

By Order of the President of India,
RAJAT KUMAR MISHRA, Jt. Secy.